

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22042025-262588
SG-DL-E-22042025-262588असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 121]
No. 121]दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2025/चैत्र 27, 1947
DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2025/CHAITRA 27, 1947[रा.रा.क्षे.दि. सं. 20
[N. C. T. D. No. 20भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-2) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 अप्रैल, 2025

संख्या फा./2/1/88/गृह पुलिस-2/खण्ड-1/568-71.—चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है :

इसलिये, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19/04/2025 से 18/07/2025 तक की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलविंदर सिंह, उप-सचिव (गृह-III)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 15th April, 2025

F. No. 2/1/88/HP-II/Pt.-I/568-71.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary to do so;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period **19/04/2025 to 18/07/2025** the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under sub section (2) of the section 3 of the aforesaid Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
KULVINDER SINGH, Dy. Secy. (Home-III)